रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1728] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 12, 2011/भाद्र 21, 1933

No. 1728] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 12, 2011/BHADRA 21, 1933

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2011

का.आ. 2067(अ).—जबकि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 23 की उप-धारा (1) के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (इसमें इसके पश्चात् परिषद् के नाम से उल्लिखित) ने 25 अगस्त, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ. सं. 61-03/20/2010/एनसीटीई/एन एंड एस में उक्त अधिनियम की धारा 2 में खंड (ढ) में उल्लिखित स्कूल में कक्षा I से VIII के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की हैं;

जबकि अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि जहां राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएं पर्याप्त नहीं है या अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यता वाले अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो केन्द्र सरकार, यदि आवश्यक समझे तो अधिसूचना द्वारा अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु अपेक्षित न्यूनतम योग्यताओं में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए छूट दे सकती है, यह अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं हो सकती;

जबकि असम राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16 जून, 2011 के अपने पत्र द्वारा उक्त अधिनियम के खंड 23 के उप खंड (1) के अंतर्गत परिषद द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु रखी गई न्यूनतम अर्हताओं की आवश्यकता में छूट के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

जबकि केन्द्र सरकार ने उक्त अधिनियम के खंड 23 के उपखंड (2) के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताओं की आवश्यकता में छूट के लिए असम राज्य सरकार के प्रस्ताव पर कार्रवाई की।

अतः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा कक्षा I-VIII से संबंधित दिनांक 25 अगस्त, 2010 को भारत के

राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 61-03/20/2010/एनसीटीई/एन एंड एस (उक्त अधिसूचना) में परिषद द्वारा अधिसूचित न्यूनतम अध्यापक योग्यता मानदंडों के लिए असम सरकार को छूट देती है, जो निम्नानुसार है:-

(क) कक्षा I-VIII में अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (किसी भी नाम से जाना जाए); और

(ख) कक्षा VI-VIII में अध्यापक की नियुक्ति हेतु 1 वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी. एड.)

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत दी गई छूट निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए 31 मार्च, 2014 तक के लिए मान्य होगी:

i. परिषद की उपर्युक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार असम सरकार परिषद द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2011 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा तथा कक्षा I-VIII में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु केवल उन्हीं व्यक्तियों पर विचार किया जा सकता है जिन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है।

ii. राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधक भर्ती नियमावली में संशोधन करेंगे ताकि वे परिषद की उपरोल्लिखित अधिसूचना द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंडों के समकक्ष हों;

iii. नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार उन पात्र अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देगी जो दिनांक 25 अगस्त, 2010 की उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता रखते हैं तथा उसके पश्चात उन पात्र अभ्यर्थियों पर विचार करेंगे इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रदान की गई छूट वाली योग्यता रखते हैं;

iv. अध्यापकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन का राज्य से बाहर सहित व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

v. परिषद की उक्त अधिसूचना में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु दी गई आवश्यक न्यूनतम अर्हताएं न रखने वाले ऐसे शिक्षक जिन्हें राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधनों द्वारा नियुक्त किया गया है वे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर न्यूनतम अर्हताएं प्राप्त करेंगे;

vi. राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधक समिति सुनिश्चित करेगी कि जिन अध्यापकों को, छूट दी गई योग्यता मानदंडों के अंतर्गत नियुक्त किया गया है वे नियुक्ति के वर्ष से दो वर्षों की अवधि के अंदर उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लें;

vii. इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट छूट एक बार दी जाएगी तथा असम राज्य को धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत आगे कोई छूट नहीं दी जाएगी;

viii. राज्य सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि असम राज्य में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम में दो वर्ष के डिप्लोमा के लिए वार्षिक दाखिला क्षमता का प्रयोग भावी प्रारंभिक स्कूल शिक्षकों को तैयार करने के लिए किया जाए न कि वर्तमान अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम में फेस-टू-फेस डिप्लोमा प्रदान करने के लिए;

ix. विशिष्ट अर्हताओं वाले व्यक्तियों को तैयार करने के लिए राज्य सरकार को संस्थागत क्षमता में वृद्धि करने के लिए कदम उठाने होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कक्षा I-VIII में केवल अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को ही 31 मार्च, 2014 के पश्चात शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाए; और

x. परिषद के दिनांक 11 फरवरी, 2011 के पत्र द्वारा जारी अध्यापक पात्रता परीक्षा दिशा–निर्देशों के पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ (iii) के अनुसार निम्नलिखित योग्यता रखने वाले व्यक्ति 31 मार्च, 2014 तक राज्य में की जाने वाली अध्यापक की नियुक्ति के संबंध में असम राज्य सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए भी पात्र होंगे:–

(क) कक्षा I-V के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सैकेंडरी (या समकक्ष);

(ख) कक्षा VI-VIII के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक।

[फा. सं. 1-17/2010-ई.ई. 4]

अनिता कौल, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2011

S.O. 2067(E).—WHEREAS the National Council for Teacher Education (hereinafter referred to as the Council), in pursuance of sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009), (hereinafter referred to as the said Act), has, vide notification number F.No.61-03/20/2010/NCTE/(N&S), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 25th August, 2010, laid down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in classes I to VIII in a school referred to in clause (n) of section 2 of the said Act;

AND WHEREAS, sub-section (2) of section 23 of the said Act provides that where a State does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education, or teachers possessing minimum qualifications laid down under sub-section (1) of section 23 of the said Act are not available in sufficient numbers, the Central Government may, if it deems necessary, by notification, relax the minimum qualifications required for appointment as a teacher for such period, not exceeding five years, as may be specified in that notification;

AND WHEREAS, the State Government of Assam vide its letter dated the 16th June, 2011 submitted a proposal to the Central Government for relaxation of the requirement of minimum qualifications for appointment of teachers laid down by the Council under sub-section (1) of section 23 of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government perused the proposal of the State Government of Assam for relaxation of the requirement of minimum qualifications for appointment as teachers under sub-section (2) of section 23 of the said Act;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Central Government hereby relaxes, in respect of the State of Assam, the minimum qualifications notified by the National Council for Teacher Education under sub-section (1) of section 23 of the said Act vide notification F. No. 61-03/20/2010/NCTE/(N&S), dated the 25th August, 2010 (the said notification), in so far as they relate to classes I to VIII, namely :-

(a) 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) for appointment of a teacher in classes I to VIII; and

(b) 1-Year Bachelors in Education for appointment of a teacher in classes VI to VIII.

2. The relaxation granted under this notification shall be valid for a period upto the 31st March, 2015 subject to fulfilment of following conditions, namely:-

(i) the State Government of Assam shall conduct the Teacher Eligibility Test as specified in the said notification of the Council in accordance with the Guidelines for conducting Teacher Eligibility Test, dated the 11th February, 2011 issued by the Council and those persons who pass the Teacher Eligibility Test be considered for appointment as a teacher in classes I to VIII;

(ii) the State Government and other school managements shall amend the recruitment rules to provide for the minimum qualifications required for appointment of teachers laid down by the said notification of the Council;

(iii) the State Government shall in the matter of appointment give priority to those eligible candidates who possess the minimum qualifications specified in the said notification, and thereafter consider other candidates eligible with the relaxed qualifications under this notification;

(iv) advertisement for appointment of teachers shall be given wide publicity, including outside the State;

(v) the State Government and other school managements shall ensure that teachers employed or engaged by them who do not possess the minimum qualifications required for appointment of teachers laid down in the said notification of the Council shall acquire the minimum qualifications within the time limit specified under sub-section (2) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009;

(vi) the State Government and other school managements shall ensure that teachers who are appointed with the relaxed qualification, acquire the minimum qualification specified in the said notification within a period of two years from the year of their appointment;

(vii) the relaxation specified in this notification shall be one-time and no further relaxation under sub-section (2) of section 23 shall be granted to the State of Assam;

(viii)the State Government shall ensure that the annual intake capacity for the two-year Diploma in Elementary Education course in the District Institutes of se in the District Institutes of m is utilised for preparing ot for imparting face-to-face ing untrained teachers;

e the institutional capacity for so as to ensure that only classes I to VIII after the 31st

ons shall also be eligible for ted by the State Government ade in the State upto the 31st h (iii) of paragraph 5 of the Council vide its letter dated

y per cent marks, for classes

classes VI to VIII.

[F. No. 1-17/2010-EE 4]

ANITA KAUL, Addl. Secy.

two-year Diploma in Elementary Education cour Education and Training in the State of Assa prospective elementary school teachers and n Diploma in Elementary Education course to exis

(ix)the State Government shall take steps to increas preparing persons with specified qualifications qualified persons are appointed as teachers in March, 2015; and

(x)the persons possessing the following qualificati appearing in the Teacher Eligibility Test conduc of Assam in respect of teacher appointments m March, 2015, in accordance with sub-paragrap Teacher Eligibility Test Guidelines issued by th the 11th February, 2011, namely :-

(a) Senior Secondary (or equivalent) with at least fif I to V;

(b) Graduation with at least fifty per cent marks, for

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2011

का.आ. 2068(अ).—जबकि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 23 की उप-धारा (1) के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (इसमें इसके पश्चात् परिषद् के नाम से उल्लिखित) ने 25 अगस्त, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ. सं. 61-03/20/2010/एनसीटीई/एन एण्ड एस में उक्त अधिनियम की धारा 2 में खंड (ढ) में उल्लिखित स्कूल में कक्षा 1 से VIII के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की हैं;

जबकि अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि जहां राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएं पर्याप्त नहीं है या अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यता वाले अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो केन्द्र सरकार, यदि आवश्यक समझे तो अधिसूचना द्वारा अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु अपेक्षित न्यूनतम योग्यताओं में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए छूट दे सकती है, यह अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं हो सकती;

जबकि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दिनांक 5 मई, 2011 के अपने पत्र द्वारा उक्त अधिनियम के खंड 23 के उप खंड (1) के अंतर्गत परिषद द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु रखी गई न्यूनतम अर्हताओं की आवश्यकता में छूट के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

जबकि केन्द्र सरकार ने उक्त अधिनियम के खंड 23 के उपखंड (2) के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताओं की आवश्यकता में छूट के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के प्रस्ताव पर कार्रवाई की।

3412GI/11-2

अतः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा कक्षा I-VIII से संबंधित दिनांक 25 अगस्त, 2010 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 61-03/20/2010/एनसीटीई/एन एंड एस (उक्त अधिसूचना) में परिषद द्वारा अधिसूचित न्यूनतम अध्यापक योग्यता मानदंडों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को छूट देती है, जो निम्नानुसार है:-

(क) कक्षा I-VIII में अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (किसी भी नाम से जाना जाए); और

(ख) कक्षा VI-VIII में अध्यापक की नियुक्ति हेतु 1 वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी. एड.)

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत दी गई छूट निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए 31 मार्च, 2014 तक के लिए मान्य होगी:

i. परिषद की उपर्युक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार परिषद द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2011 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा तथा कक्षा I-VIII में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु केवल उन्हीं व्यक्तियों पर विचार किया जा सकता है जिन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है।

ii. राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधक भर्ती नियमावली में संशोधन करेंगे ताकि वे परिषद की उपरोल्लिखित अधिसूचना द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंडों के समकक्ष हों;

iii. नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार उन पात्र अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देगी जो दिनांक 25 अगस्त, 2010 की उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता रखते हैं तथा उसके पश्चात उन पात्र अभ्यर्थियों पर विचार करेंगे इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रदान की गई छूट वाली योग्यता रखते हैं;

iv. अध्यापकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन का राज्य से बाहर सहित व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

v. परिषद की उक्त अधिसूचना में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु दी गई आवश्यक न्यूनतम अर्हताएं न रखने वाले ऐसे शिक्षक जिन्हें राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधनों द्वारा नियुक्त किया गया है वे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर न्यूनतम अर्हताएं प्राप्त करेंगे;

vi. राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधक समिति सुनिश्चित करेगी कि जिन अध्यापकों को, छूट दी गई योग्यता मानदंडों के अंतर्गत नियुक्त किया गया है वे नियुक्ति के वर्ष से दो वर्षों की अवधि के अंदर उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लें;

vii. इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट छूट एक बार दी जाएगी तथा छत्तीसगढ़ राज्य को धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत आगे कोई छूट नहीं दी जाएगी;

viii. राज्य सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम में दो वर्ष के डिप्लोमा के लिए वार्षिक दाखिला क्षमता का प्रयोग भावी प्रारंभिक स्कूल शिक्षकों को तैयार करने के लिए किया जाए न कि वर्तमान अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम में फेस-टू-फेस डिप्लोमा प्रदान करने के लिए;

ix. विशिष्ट अर्हताओं वाले व्यक्तियों को तैयार करने के लिए राज्य सरकार को संस्थागत क्षमता में वृद्धि करने के लिए कदम उठाने होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कक्षा I-VIII में केवल अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को ही 31 मार्च, 2014 के पश्चात शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाए; और

x. परिषद के दिनांक 11 फरवरी, 2011 के पत्र द्वारा जारी अध्यापक पात्रता परीक्षा दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ (iii) के अनुसार निम्नलिखित योग्यता रखने वाले व्यक्ति 31 मार्च, 2014 तक राज्य में की जाने वाली अध्यापक की नियुक्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए भी पात्र होंगे:-

(क) कक्षा I-V के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सैकेंडरी (या समकक्ष);

(ख) कक्षा VI-VIII के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक।

[फा. सं. 1-17/2010-ई.ई. 4]

अनिता कौल, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2011

S.O. 2068(E).— WHEREAS the National Council for Teacher Education (hereinafter referred to as the Council), in pursuance of sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009), (hereinafter referred to as the said Act), has, vide notification number F.No.61-03/20/2010/NCTE/(N&S), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th August, 2010, laid down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in classes I to VIII in a school referred to in clause (n) of section 2 of the said Act;

AND WHEREAS, sub-section (2) of section 23 of the said Act provides that where a State does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education, or teachers possessing minimum qualifications laid down under sub-section (1) of section 23 of the said Act are not available in sufficient numbers, the Central Government may, if it deems necessary, by notification, relax the minimum qualifications required for appointment as a teacher for such period, not exceeding five years, as may be specified in that notification;

AND WHEREAS, the State Government of Chhattisgarh vide its letter dated the 5th May, 2011 submitted a proposal to the Central Government for relaxation of the requirement of minimum qualifications for appointment of teachers laid down by the Council under sub-section (1) of section 23 of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government perused the proposal of the State Government of Chhattisgarh for relaxation of the requirement of minimum qualifications for appointment as teachers under sub-section (2) of section 23 of the said Act;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Central Government hereby relaxes in respect of the State of Chhattisgarh the minimum qualifications notified by the National Council for Teacher Education under sub-section (1) of section 23 of the said Act vide notification F. No.

61-03/20/2010/NCTE/(N&S), dated the 25th August, 2010 (the said notification), in so far as they relate to classes I to VIII, namely :-

(a) 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) for appointment of a teacher in classes I to VIII; and

(b) 1-Year Bachelors in Education for appointment of a teacher in classes VI to VIII.

2. The relaxation granted under this notification shall be valid for a period upto the 31st March, 2014 subject to fulfilment of following conditions, namely:-

(i) the State Government of Chhattisgarh shall conduct the Teacher Eligibility Test as specified in the said Notification of the Council in accordance with the Guidelines for conducting Teacher Eligibility Test dated the 11th February, 2011 issued by the Council and those persons who pass the Teacher Eligibility Test be considered for appointment as a teacher in classes I to VIII;

(ii) the State Government and other school managements shall amend the recruitment rules to provide for the minimum qualifications required for appointment of teachers laid down by the said notification of the Council;

(iii) the State Government shall in the matter of appointment give priority to those eligible candidates who possess the minimum qualifications specified in the said notification dated the 25th August, 2010, and thereafter consider other candidates eligible with the relaxed qualifications under this notification;

(iv) advertisement for appointment of teachers shall be given wide publicity, including outside the State;

(v) the State Government and other school managements shall ensure that teachers employed or engaged by them who do not possess the minimum qualifications required for appointment of teachers laid down in the said notification of the Council shall acquire the minimum qualifications within the time limit specified under sub-section (2) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009;

(vi) the State Government and other school managements shall ensure that teachers, who are appointed with the relaxed qualification, acquire the minimum qualification specified in the said notification within a period of two years from the year of appointment.

(vii) the relaxation specified in this notification shall be one-time and no further relaxation under sub-section (2) of section 23 shall be granted to the State of Chhattisgarh.

(viii) the State Government shall ensure that the annual intake capacity for the two-year Diploma in Elementary Education course in the District Institutes of Education and Training in the State of Chhattisgarh is utilised for preparing prospective elementary school teachers and not for imparting face-to-face Diploma in Elementary Education course to existing untrained teachers;

(ix) the State Government shall take steps to increase the institutional capacity for preparing persons with specified qualifications so as to ensure that only qualified persons are appointed as teachers in classes I to VIII after the 31st March, 2014; and

(x) the persons possessing the following qualifications shall also be eligible for appearing in the Teacher Eligibility Test conducted by the State Government of Chhattisgarh in respect of teacher appointments made in the State upto the 31st March, 2014, in accordance with sub- paragraph (iii) of paragraph 5 of the Teacher Eligibility Test Guidelines issued by the Council vide its letter dated the 11th February, 2011, namely :-

(a) Senior Secondary (or equivalent) with at least fifty per cent marks, for classes I to V;

(b) Graduation with at least fifty per cent marks, for classes VI to VIII.

[F. No. 1-17/2010-EE 4]

ANITA KAUL, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

3412 GI/11-3